

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, नागौर

कार्यालय-आदेश

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा शारीरिक शिक्षा अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा-2022 में अन्तिम रूप से चयनित, पात्र एवं अभिस्तावित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने हेतु इस कार्यालय को आवंटित किये जाने के फलस्वरूप, संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के पत्रांक प. 17(15)शिक्षा-2/2014/जयपुर दिनांक 27.08.2021 एवं श्रीमान निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान-बीकानेर के पत्र क्रमांक शिविरा-मा./संस्था/ एफ-1/12102(203)/सी.भ./पीटीआई/2021-22 दिनांक 02.09.2023 में दिये गये निर्देशों के अनुरूप संलग्न सूची में विवरणांकित आशार्थियों को **शारीरिक शिक्षा अध्यापक पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-2017 के वेतन लेवल -10** में प्रोबेशनर ट्रेनी (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में दो वर्ष के प्रोबेशन पर राज्य सरकार के आदेशानुसार मासिक नियत पारिश्रमिक पर पर परामर्श के माध्यम से विकल्प पत्र प्राप्त करते हुए नियुक्ति दी जाकर उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है। सम्बंधित संस्थाप्रधान को निर्देशित किया जाता है कि वह इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से सम्पादित करेंगे-

- नवपदस्थापित शारीरिक शिक्षा अध्यापक द्वारा अर्जित शैक्षिक/प्रशैक्षिक, आयु, जाति, आरक्षण सम्बन्धी एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों का मूल दस्तावेजों से मिलान कर उसकी एक प्रति अपने कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखेंगे, कोई भिन्नता/ सन्देह की स्थिति पाये जाने पर इस कार्यालय को तत्काल सूचित करते हुए अग्रिम आदेश प्राप्त होने के उपरान्त ही कार्यग्रहण करवायेगे।
- नियुक्ति पर कार्यग्रहण से पूर्व नियमानुसार सम्बन्धी जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र सम्बन्धी सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र मूल ही प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जावे, इसके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे। पूर्व में राजकीय सेवा में सेवारत कर्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
- जिन अभ्यर्थियों के पुलिस सत्यापन रिपोर्ट सही नहीं पाये जाने पर उक्त के विरुद्ध कर्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 04.12.2019 एवं 26.10.2021 के अनुसार कार्यवाही कर उसकी सूचना अविलम्ब इस कार्यालय को दें। किसी अभ्यर्थी की पुलिस सत्यापन रिपोर्ट सही नहीं पाये जाने/ के बिना कार्यग्रहण करवाया जाता है तो संबंधित संस्थाप्रधान के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित कि जावेगी।
- कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.7(1)डीओपी/ए-11/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार सम्बंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके बाद उत्पन्न सन्तानों के संबंध में कुल सन्तानों की संख्या दो या दो से अधिक नहीं होने सम्बन्धी आशय का शपथ पत्र आवश्यक रूप से निर्धारित प्रारूप में 50/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्राप्त किया जावे।
- विवाहित अभ्यर्थियों के मामले में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा विवाह यदि विवाह पंजीयन अनिवार्य करने सम्बन्धी प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ है तो तत्सम्बन्धी आशय का 50/-रु के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त कर लिया जावे।
- आवेदक द्वारा दहेज नहीं लिए जाने का स्व-घोषणा पत्र प्राप्त किया जावे।
- अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी के द्वारा नियमानुसार एवं निर्धारित प्रपत्र में जारी किया होना चाहिये एवं नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया हो कि "अपवर्जन का नियम इन पर लागू नहीं होता है, अर्थात् अनुसूची में वर्णित व्यक्ति क्रीमिलेयर का नहीं है तथा उक्त तथ्य सक्षम अधिकारी द्वारा काटा हुआ नहीं होना चाहिये।" यदि कोई अभ्यर्थी क्रीमिलेयर की श्रेणी में आता है तो उनका आवेदन पत्र/सूचना अग्रिम कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को भिजवाये।
- परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनी) की अवधि में फिक्स रेमुनेरेशन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा मेंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतीपुर्ति भत्ता, मेंहगाई वेतन(डीपी), विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होगा।

Signature valid

Digitally signed by Ram Niwas Jangid
Designation : District Education
Officer
Date: 2023.09.18 16:29:00 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4747682



09. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्राबेशन ट्रेनी) की अवधि में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कटौतियां नियमानुसार होगी।
10. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्राबेशन ट्रेनी) की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गणना योग्य नहीं माना जायेगा।
11. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्राबेशन ट्रेनी) की अवधि में इन्हे कलेण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का आकस्मिक अवकाश वित्त विभाग के आदेश क्रमांक—एफ—12(9)एफ.डी.(रुल्स)2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार देय होगा।
12. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से 50/— रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करेंगे कि , यदि इनके द्वारा अर्जित शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता एवं खेल प्रमाण पत्र वैध व मान्य नहीं पाई गई तो उन्हें प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही करने संबंधी अधिकारी विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति में तत्काल नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी तथा नियमानुसार कानूनी कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।
13. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 7(3)कार्मिक/क-2/06/पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान/मद्यपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी वचनबंधता (Undertaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावे।
14. कार्यग्रहण करने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.7(13)कार्मिक/क-2/23 दिनांक 11.05.2023 के अनुसार भारत के संविधान के प्रति निष्ठा एवं राष्ट्र की प्रभूता, अखण्डता को अक्षुण्ण बनाये रखने तथा पद के कर्तव्यों को राजनिष्ठता , ईमानदारी एवं निष्पक्षता से किये जाने सम्बन्धी शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में प्राप्त किया जाकर सेवा अभिलेखों में संकलित किया जावे।
15. नवपदस्थापित शारीरिक शिक्षा अध्यापक के कार्यग्रहण की सूचना संबंधित संस्थाप्रधान शाला दर्पण पर कार्यग्रहण करवाकर इस कार्यालय को आवश्यक रूप से देवे।

नवपदस्थापित शारीरिक शिक्षा अध्यापक को उक्त **नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर दिनांक 09.10.2023 तक कार्यग्रहण करना** अनिवार्य होगा, उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर आदेश स्वतः ही निरस्त माना जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों/सूचनाएं सही नहीं पाये जाने पर बिना किसी नोटिस के इनकी सेवाएं समाप्त कर दी जायेगी।

जिला शिक्षा अधिकारी
मुख्यालय माध्यमिक नागौर
दिनांक 18.09.2023

क्रमांक—जि.श.अ/मुमा/ना/संस्था-1/सी.भ./शा0शि0-2022/2023/645

प्रतिलिपि:— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. श्रीमान् शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान—जयपुर।
02. श्रीमान् शासन उप सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग, राजस्थान—जयपुर।
03. श्रीमान् निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान—बीकानेर।
04. श्रीमान् सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड , जयपुर।
05. श्रीमान् संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, अजमेर मण्डल अजमेर।
06. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी , नागौर।
07. जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारम्भिक नागौर।
08. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जिला नागौर।
09. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. सम्बंधित संस्थाप्रधान को विभागीय वेबसाइट के माध्यम से ।
11. सम्बंधित अभ्यर्थीको विभागीय वेबसाइट के माध्यम से ।
12. रक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी
मुख्यालय माध्यमिक नागौर
Signature valid

Digitally signed by Ram Niwas Jangid
Designation : District Education
Officer
Date: 2023.09.18 16:29:00 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4747682



कार्यालय—जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक नागौर
शारीरिक शिक्षक अभ्यापक सीधी भर्ती 2022 पदस्थापन सूची

क्रमांक—जिशिक्ष/मुना/ना/संस्था-1/सी.म./शाशिप-2022/2023/646

दिनांक 18.09.2023

S.NO	PHOTO	ROLL NO	MERT NO.	NAME	F NAME	DOB	GENDER	CAT	SEL CAT	ADDRESS	POSTING PLACE
1		721716	14	PURBA RAM	PEMA RAM	20-Oct-99	Male	OBC	GEN	VPO-DEU TEH. KHINWSAR NAGAU 341001 VPO-DEU TEH. KHINWSAR NAGAU District NAGAU	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL MADPURA KUWA DUJASAR (220002)(08141203102),KHINWSAR
2		752902	88	SUNIL	HARI RAM	01-Jul-94	Male	OBC	GEN	VPO - BISHNOI BAS ALAY - ALAY District NAGAU	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL NUMBER 2 DANTINA (495422)(08141202403),KHINWSAR
3		718159	340	MAHENDRA ROJ	DEEPA RAM ROJ	06-Mar-94	Male	OBC	GEN	VILLAGE- DUKIYA POST- BHANIWAL TEH.- RIYAN BARI District NAGAU	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL CHAMPAPUR (407127)(08140202401),RIYAN BADI
4		704612	484	ANUJ GWALA	PREM SINGH	08-Oct-96	Male	OBC	GEN	VPO MANAKPUR DIS NAGAU RAJASTHAN District NAGAU	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL ACHEENA (219988)(08141200212),KHINWSAR

Signature valid

Digitally signed by Ram Niwas Jangid
Designation : District Education
Officer
Date: 2023.09.18 16:29:00 IST
Reason: Approved

Page 1 of 2

RajKaj Ref No. : 4747682



शारीरिक शिक्षक अध्यापक सीधी भर्ती 2022 परस्थापन सूची

क्रमांक-विशिष्ट/मुसा/ना/संस्था-1/सी.स./शा/वि-2022/2023/645

दिनांक 18.09.2023

S.NO	PHOTO	ROLL NO	MERIT NO.	NAME	F NAME	DOB	GENDER	CAT	SEL CAT	ADDRESS	POSTING PLACE
5		703366	591	NATHU RAM GODARA	KISHOR RAM GODARA	10-Nov-91	Male	OBC	GEN	VPO-BORWA TEH-JAYAL DIST- NAGAU District NAGAU	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KHARI JODHA (213425)(08140507801),JAYAL
6		709201	900	JAIDEEP SINGH RATHORE	SUGAN SINGH RATHORE	08-Jan-99	Male	GEN- EWS	GEN	2/251 JAY NARAYAN VYAS COLONY WARD NO 6 District NAGAU	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL KARMSOTO KI DHANI SATIKA KHURD (472763)(08141208301),KHINWSAR
7		721309	949	DHANNA RAM MEGHVAL	MULA RAM	21-Aug-94	Male	SC	GEN	VPO THIROD TEH MUNDWA NAGAU District NAGAU	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL AKHASAR NO 2 (472833)(08141200301),KHINWSAR
8		745726	4123	PUKH RAJ	KALU RAM	26-Jul-85	Male	OBC	OBC	VILL-INDAS POST-GOGELAW TEH AND DIST NAGAU District NAGAU	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL BAPOD (472908)(08140801001),NAGAU

जिला शिक्षा अधिकारी
मुख्यालय माध्यमिक नगौर

Signature valid

Digitally signed by Ram Niwas Jangid
Designation : District Education
Officer
Date: 2023.09.18 16:29:00 IST
Reason: Approved

Page 2 of 2

RajKaj Ref No. : 4747682

